



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-12.07.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद:-

दिनांक 11.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुये है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.लाखन उर्फ लाखा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम भाव्सी रामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 2.दीपक पुत्र सोमपत निवासी मौहल्ला अफगानान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1.दो अवैध चाकू बरामद।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 13.05.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 11.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. गुलाब सिंह पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तितरो जनपद सराहनपुर।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 09.07.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 11.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. प्रताप कुमार पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर।



थाना बाबरी पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र द्वारा की गयी कार्यवाही में ठगी की गयी 1,15,680/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई:-

ज्ञात हो दिनांक 21.06.2025 को आवेदिका श्रीमती पुष्पा पत्नी वीरपाल निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली के पुत्र अर्जुन से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मर्चेन्ट नेवी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर धनराशि ठगी की गयी थी। उपरोक्त के सम्बन्ध में आवेदिका श्रीमती पुष्पा द्वारा में थाना बाबरी साइबर सेवा केन्द्र पर साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना बाबरी साइबर सेवा केन्द्र द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए मर्चेन्ट नेवी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी की गयी 1,15,680/- रुपये की धनराशि वापसी कराई गई है। आवेदिका के पुत्र अर्जुन द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना बाबरी का आभार व्यक्त किया गया है।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा हुये नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 11.07.2025 को थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. शुभम पुत्र नरेश निवास ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलों में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 25.04.2025 को थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी आज दिनांक 12.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.विकास पुत्र सोमवीर उर्फ सोहनवीर निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।



SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI